हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग (नियुक्ति–।।।)

संख्याः पर (एपी)–सी–सी (17)–2/2018. तारीख शिमला–2, 19 **नवम्बर,** 2019.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत या के बाहर वर्ग–III तथा वर्ग–IV के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंः –

संक्षिप्त नाम। प्रारम्भ व प्रभाव।	1.		इन नियमों का संक्षिप्त नाम "हिमाचल प्रदेश वर्ग–III व वर्ग–IV के पदों पर भर्ती हेतु पात्रता, नियम, 2019" है।
	2.	(1)	ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।
		(2)	इन नियमों को सरकार के किसी भी विभाग में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाए गए वर्ग–III और वर्ग–IV के पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियमों के खण्ड 7 के साथ पढ़ा जाए।
		(3)	ये नियम अन्य सरकारी उपक्रमों/निगमों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों इत्यादि पर इन्हें अंगीकृत करने पर लागू होंगे।
परिभाषाएं।	3		इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :– (क) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है; (ख) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल अभिप्रेत है; (ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है; (घ) "हिमाचल के स्थाई निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समय–समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है।
भर्ती के लिए पात्रता।	4		(i) अभ्यर्थी, वर्ग–III के पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में

			अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और वर्ग–IV के पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की हो; परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

आदेश द्वारा,

(आर0 डी0 धीमान)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018 dated 19th November, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-III)

No. Per (AP)-C-C (17)-2/2018. Dated: Shimla-171002, 19th Nov. 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to frame the following Rules to determine the eligibility for appointment to Class-III and Class IV posts within or outside the purview of the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, as under:

Short title Commencement and Effect.	1.		These rules may be called "The Himachal Pradesh Eligibility for Appointment to Class-III and Class-IV Posts, Rules, 2019."
	2.		1) These rules shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette (E-Gazette) H.P. (2) These rules may be read with Clause 7 of the Recruitment and Promotion Rules framed under article 309 of the Constitution of India in any Government Department for any Class-III and Class-IV posts. (3) These Rules shall also apply to other

			Government undertakings/Corporations/ Board/Autonomous Bodies etc. subject to adoption thereof.
Definitions	3.		In these Rules, unless the context otherwise requires:- (a) "Constitution" means the Constitution of India; (b) "Governor" means the Governor of Himachal Pradesh; (c) "Government" means the Government of Himachal Pradesh. (d) "Bonafide Himachali" means a person, who has been defined as such by the Government of Himachal Pradesh from time to time.
Eligibility for recruitment.	4.		A candidate shall be eligible for appointment to Class-III post(s), if he/she has passed Matriculation and 10+2 and for Class-IV post(s), if he/she has passed Middle or Matriculation from any School/Institution situated within Himachal Pradesh: Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

By order,

(R.D. Dhiman)
Additional Chief Secretary (Personnel)
to the Govt. of Himachal Pradesh